संख्या-23/03सी.एम./47-का-3-2014-13/1/2014

प्रेषक,

पी0बी0 सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रशासक
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 14 फरवरी, 2014**

विषय: ट्रेजरी चालान संख्या-आर.92, दिनांक 30.12.2006 द्वारा जमा धनराशि रू0-80/- को ब्याज सहित वापस करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, लोक शिकायत अनुभाग-2 के पत्रांक-पी.जी.05412640/लो.शि.-2/14, दिनांक 24.01.2014 की संलग्न प्रति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सुश्री सरिता नायक पुत्र श्री प्रभाकर नायक, म0नं0-16ए/4, शुभम नगर, योजना भवन के पीछे नहर का किनारा, पोस्ट-जी0पी0ओ0, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष रू0-80/- फीस (ट्रेजरी चालान) जमा किए जाने के बाद भी परीक्षा आयोजित न करने तथा शुल्क वापस न करने का उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में लोक शिकायत अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 24.01.2014 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। चूँकि प्रश्नगत प्रकरण मुख्यमंत्री संदर्भ के रूप में प्राप्त हुआ है। अतएव प्रकरण में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से लोक शिकायत अनुभाग-2/ कार्मिक अनुभाग-3 तथा प्रार्थिनी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-23/03सी.एम.(1)/47-का-3-2014-13/1/2014, तददिनांक-

प्रतिलिपि, लोक शिकायत अनुभाग-2, मुख्यमंत्री कार्यालय, उ0प्र0 को उनके पत्रांक दिनांक 24.01.2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shsmadesh.up.nic.in